प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

# मिशन निदेशालय
## सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)
## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010
website-www.sudaup.org
email-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः-692/01/29/HFA-13/2018-19 दिनांकः-15 मई, 2018

**मा0 मंत्री जी/मा0 विधायक संदर्भ**

सेवा में,

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0परि0अधि0
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-**मा0 विधायक समूह की बैठक दिनांक 19.03.2018 के कार्यवृत्त में अंकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से मा0 विधायकगण एवं मा0 मंत्री जी को अवगत कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-VD-74/CM-1/18 दिनांक 05.04.2018 के क्रम में अनु सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-सीएम-34/69-1-2018-14(41)/2018 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा मा0 विधायक समूह की बैठक दिनांक 19.03.2018 के कार्यवृत्त में अंकित बिन्दुओं **"अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए"** पर नियमानुसार कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से मा0 विधायकगण एवं मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एवं सूडा द्वारा पूर्व में पत्रांक-2641/01/29/एचएफए-11/2017-18 दिनांक 06.10.2017, पत्रांक-4979/01/29/एचएफए-12/2017-18 दिनांक 13.03.2018 एवं पत्रांक-370/01/29/एचएफए-13/2018-19 दिनांक 02.05.2018 द्वारा लाभार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशा जारी किये जा चुके हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाये। साथ ही उक्त दिशा-निर्देशों की एक प्रति सम्बन्धित मा0 मंत्री जी एवं मा0 विधायकगण को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अतुल सिंह चौहान)
कार्यक्रम अधिकारी

**प्रतिलिपिः-**

1. निदेशक महोदय, सूडा, लखनऊ को उनके पत्रांक-603/199/तीन/2018-19 दिनांक 11 मई, 2018 के क्रम में अनुपालनार्थ।

(अतुल सिंह चौहान)
कार्यक्रम अधिकारी

HFA6/151